डॉ. कृति लखिना और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) सं. 2018 का 204)

अप्रैल 4, 2018

[अरुण मिश्रा और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्तिगण]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः चिकित्सा शिक्षा- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश- चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, कर्नाटक सरकार और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार द्वारा जारी सूचना बुलेटिन का खंड 4- कर्नाटक राज्य में मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में 50% सरकारी कोटा सीटों के संबंध में एमडी, एमएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कर्नाटक में 10 साल के लिए अधिवास की शर्त अधिरोपित करना- कर्नाटक राज्य से एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम करने वाले और एनईईटी-पीजी, 2018 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, कर्नाटक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक डॉक्टरों द्वारा लिखित याचिका प्रस्तुत कर खंड 4 को अमान्य होने के आधार पर रद्द करने की मांग- अभिनिर्धारितः सूचना बुलेटिन (पीजीईटी-2018) का खंड 4.1 इस हद तक अमान्य है कि यह याचिकाकर्ताओं-डॉक्टरों को अयोग्य ठहराता है और इसी तरह से स्थित उम्मीदवार जिन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने और गैर-सरकारी संस्थानों में सरकारी कोटा सीटों के खिलाफ कर्नाटक में स्थित कॉलेजों से एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया- कर्नाटक राज्य और अन्य प्रत्यर्थियों को सूचना बुलेटिन को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का निर्देश जारी करना- भारत का संविधान- अनुच्छेद 32

विशाल गोयल और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2014) 11 एससीसी 456 - पर भरोसा किया।

डॉ. प्रदीप जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(1984) 3** एससीसी **654: [1984] 3** एससीआर **942; *सौरभ चौधरी***

और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2003) 11** एससीसी **146: [2003] 5** पूरक एससीआर **152;** *मगन मेहरोत्रा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* **(2003) 11** एससीसी **186;** *निखिल हिमथानी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य* **(2013) 10** एससीसी **237: [2013] 14** एससीआर **23;** D.P. *जोशी बनाम मध्य भारत राज्य और अन्य* एआईआर **1955** एससी **334: [1955] 1** एस. सी. आर. **1215;** *कुमारी एन. वसुंधरा बनाम मैसूर राज्य और अन्य* **(1971) 2** एससीसी **22: [1971]** पूरक एससीआर **381;** *अवयस्क पी. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य और अन्य* **[1968] 2** एससीआर **786;** *अवयस्क ए. पीरियाकरुप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य* **(1971) 1** एससीसी **38: [1971] 2** एससीआर **430;** *डी. एन. चंचल बनाम मैसूर राज्य और अन्य* **(1971) 2** एससीसी **293: [1971]** पूरक एससीआर **608;** *डॉ. जगदीश सरन और अन्य बनाम भारत संघ* **(1980) 2** एससीसी **768: [1980] 2** एससीआर **831;** *फ्राज़ नसीम बनाम भारत संघ (2014) 11 एससीसी 453- संदर्भित।*

<u>सन्दर्भ निर्णय विधि</u>

[1984] 3 एससीआर **942**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **7**
[2003] 5 पूरक एससीआर **152**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **7**
(2003) 11 एससीसी **186**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **7**
[2013] 14 एससीआर **23**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **7**
[1955] 1 एससीआर **1215**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **8**
[1971] पूरक एससीआर **381**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **11**
[1968] 2 एससीआर **786**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **11**
[1971] 2 एससीआर **430**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **11**
[1971] पूरक एससीआर **608**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **11**
[1980] 2 एससीआर **831**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **11**
(2014) 11 एससीसी **453**	संदर्भित करने के लिए	पैरा **13**
(2014) 11 एससीसी **456**	भरोसा किया गया	पैरा **14**

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) नं. 2018 की 204.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।

अमरेंद्र शरण, बसव प्रभु एस. पाटिल, सीनियर अधिवक्ता गण, अमित कुमार, शौर्य सहाय, वी. एन. रघुपति, चिन्मय देशपांडे, सुश्री रुचिता हीरामथ, परीक्षित अंगाडी, गीत आहूजा, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, सुश्री मानसी शर्मा, एच. चंद्र शेखर, सुश्री रेखा पाटिल, रंजन कुमार दुबे, सुश्री प्रिया पुरी, स्वतंत्र राय, सुश्री विजया लक्ष्मी, उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा दिया गया था ।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका 44 डॉक्टरों द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने कर्नाटक राज्य से एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम किया है और उच्च योग्यता के साथ एनईईटी-पीजी, 2018 परीक्षा उत्तीर्ण की है और कर्नाटक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं। रिट याचिका में मुख्य प्रार्थना चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, कर्नाटक सरकार और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार क्रमशः उत्तरदाता संख्या 2 और 3 द्वारा संयुक्त रूप से जारी सूचना बुलेटिन के खंड 4 को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का अनुरोध करती है।

2. प्रश्नगत सूचना बुलेटिन, कर्नाटक राज्य में मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सरकारी कोटा सीटों के संबंध में स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शर्तों को निर्धारित करता है और 10.03.2018 को वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इस सूचना बुलेटिन के खंड 4 का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित शर्तों में पात्रता शर्तों से संबंधित हैः

"**4.** योग्यता

4.1 सरकारी सीटों **(**जी**)** और जीएमपी सीटों के लिए योग्यताः

एक उम्मीदवार जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, वह ऑनलाइन सीट आवंटन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र है, अर्थात्ः-

- वह भारत का नागरिक है, जो कर्नाटक मूल का है और उसने कर्नाटक में या कर्नाटक के बाहर स्थित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री हासिल की है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध है और स्नातकोत्तर मेडिकल या डेंटल

डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) में अर्हता प्राप्त की है।

नोटः नियम के उद्देश्य के लिए बच्चों का अर्थ प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ बेटा/बेटी है और गोद लिया हुआ बेटा/बेटी और पोता/पोती नहीं है।

स्पष्टीकरणः कर्नाटक उत्पत्ति का एक उम्मीदवार: का अर्थ है, एक उम्मीदवार जो नीचे दिए गए खंड क या ख के तहत पात्र पाया जाता है।

(खंड क**)**

i) एक उम्मीदवार जिसने 31 मार्च, 2018 को पहली कक्षा से एमबीबीएस/बीडीएस के लिए शुरू होने वाले दस शैक्षणिक वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में स्थित एक या अधिक सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन किया है और उत्तीर्ण किया है और कर्नाटक राज्य से एसएसएलसी/10 वीं कक्षा या दूसरी पीयूसी/12 वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित हुआ है और उत्तीर्ण हुआ है। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जिसने किसी कक्षा या मानक को पास करने में एक वर्ष से अधिक का समय लिया है, शैक्षणिक अध्ययन के वर्ष को केवल एक वर्ष के रूप में गिना जाता है। (<u>प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज</u>)

(खंड ख **)**

ii) उम्मीदवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कर्नाटक राज्य के भीतर प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा या 11 वीं या 12 वीं कक्षा की परीक्षा या कर्नाटक में स्थित एक पेशेवर शैक्षणिक संस्थान से एमबीबीएस/बीडीएस का अध्ययन और उत्तीर्ण होना चाहिए और यह कि माता-पिता में से किसी ने न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक में अध्ययन/निवास किया होना चाहिए। (<u>प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज</u>)"

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेदन किया गया है कि यह सूचना बुलेटिन प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 द्वारा जारी किया गया, इसके खंड 4.1 की सीमा तक कर्नाटक राज्य में एमडी, एमएस और स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीटों में प्रवेश के लिए अधिवास की शर्त

अमान्य है और असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि खंड 4.1 मनमाने ढंग से और अवैध रूप से उन याचिकाकर्ताओं को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत चिकित्सा में प्रवेश के लिए और गैर-सरकारी संस्थानों में सरकारी कोटा सीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से वंचित करता है जिन्होंने कर्नाटक में स्थित कॉलेजों से एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री प्राप्त की थी। *विशाल गोयल और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले*[1] में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह निवेदन किया कि विवाद अब अछूता नहीं है और *विशाल गोयल (उपरोक्त)* में लिए गए दृष्टिकोण का प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 द्वारा बुलेटिन जारी करते समय पालन किया जाना चाहिए था ।

4. चूंकि मामले में तात्कालिकता शामिल है और याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के आजीविका की संभावनाएं प्रश्नगत हैं, इसलिए मामले को तुरंत सुनवाई के लिए लिया गया। कर्नाटक राज्य ने उपस्थिति दर्ज की और अन्य बातों के साथ अपना जवाब दाखिल किया, कि पात्रता शर्तों के तहत, केवल कर्नाटक मूल के उम्मीदवार ही सरकारी कॉलेजों में 50% सरकारी सीटों में प्रवेश के लिए और निजी कॉलेजों में सरकारी कोटा सीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जवाब में आगे कहा गया कि इन पात्रता शर्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया था कि राज्य की कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा किया जाए और भारतीय चिकित्सा परिषद का स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमन 2000 ('2000 विनियम' संक्षेप में) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करने से राज्य को प्रतिबंधित नहीं करता है। उत्तर में दिए गए कुछ आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक मूल के 4093 उम्मीदवार 1828 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि कर्नाटक के अलावा बाहरी मूल के 10003 उम्मीदवार, जिसमें राज्य के बाहर के 1263 उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने कर्नाटक में स्थित कॉलेजों से एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया था और पूरा किया था, 2301 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जवाब में आगे कहा गया कि राज्य उन उम्मीदवारों को वरीयता देने के लिए पात्रता शर्तों को तैयार करने के अपने अधिकार के भीतर था, जिनके राज्य की सेवा करने की सबसे अधिक संभावना थी।

5. अपने उत्तर में, भारतीय चिकित्सा परिषद ("एमसीआई", संक्षेप में) ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2014 में कर्नाटक राज्य द्वारा जारी सूचना बुलेटिन (पीजीईटी-2014) में वर्तमान सूचना बुलेटिन (पीजीईटी-2018) के खंड 4.1 में प्रदान किए गए समान पात्रता

---

[1] (2014)11 एससीसी 456

मानदंड शामिल हैं, जिसे *विशाल गोयल (उपरोक्त)* के मामले में चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने अधिवास के आधार पर वरीयता को समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला और अलग किए जाने योग्य माना था। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद जवाब में एमसीआई द्वारा प्रगट कानूनी स्थिति निम्नलिखित है: –

"क. स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों के आरक्षण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है;

ख. अधिवास/निवास/मूल स्थान के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों का आरक्षण अस्वीकार्य है और राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता है;

ग. स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों के आरक्षण के लिए संस्थागत आरक्षण/वरीयता 50% की बाहरी सीमा के अधीन अनुमत है;

घ. संस्थागत आरक्षण/वरीयता को इस आधार पर अमान्य किया जा सकता है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है;

ङ. राज्य द्वारा संस्थागत आरक्षण को लागू करते समय कोई अधिवास आवश्यकता नहीं लगाई जा सकती है;

च. अधिवास आरक्षण के रूप में प्रच्छन्न संस्थागत आरक्षण/वरीयता को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए अमान्य किया गया है।

6. हमने याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेंद्र शरण, कर्नाटक राज्य और आधिकारिक उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासवप्रभु एस. पाटिल और एमसीआई के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा को सुना।

7. श्री शरण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *डॉ. प्रदीप जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[2], *सौरभ चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[3], *मगन मेहरोत्रा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[4], *निखिल हिमथानी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य*[5] और अंत में *विशाल गोयल (उपरोक्त)* में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। अपने प्रस्तुतिकरण में इन निर्णयों की परिणति *विशाल गोयल (उपरोक्त)* में पारित निर्णय के रूप में होना बताया। इन दलीलों का समर्थन एमसीआई के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा ने किया।

---

[2] (1984) 3 एससीसी 654 पैरा 20, 22 और 24

[3] (2003) 11 एससीसी 146 पैरा 29, 69 और 70

[4] (2003) 11 एससीसी 186 पैरा 3 और 8

[5] (2013) 10 एससीसी 237 पैरा 3

8. श्री पाटिल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके विपरीत उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा *डी .पी. जोशी बनाम मध्य भारत राज्य और अन्य*[6] में पारित निर्णय और *डॉ प्रदीप जैन (उपरोक्त)* के निर्णय के पैरा 6, 13 और 16 पर भरोसा किया।

9. सुनवाई के समापन के बाद, पक्षों द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की गईं। अपनी लिखित दलीलों में, याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ निवेदन किया कि विचाराधीन सूचना बुलेटिन का खंड4.1 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और 2000 विनियमों के विनियम 9 का विरोध करता है। पीजीईटी-2014 के खंड 2, जो *विशाल गोयल* (उपरोक्त) में विनिश्चय का विषय था और वर्तमान खंड 4.1 के बीच समानता दर्शाने वाला एक चार्ट संलग्न किया गया था। अपनी लिखित प्रस्तुतियों में एमसीआई ने 2000 विनियमों और विशेष रूप से उनके विनियम 9 पर भी भरोसा किया। आगे यह भी निवेदन किया गया थाः

> "यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्नातकोत्तर स्तर पर मुख्य रूप से दो प्रकार के पाठ्यक्रम हैं अर्थात स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम। विनियमन 9 (IV) और 9 (VII) को बारीकी से पढ़ने पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के बीच अंतर स्पष्ट है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि विनियमन 9 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार, सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण केवल स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ही अनुमत है। इसके अलावा, आईएमसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में आरक्षण की अनुमति देता है।

10. कर्नाटक राज्य ने अपनी लिखित दलीलों में कार्रवाई को सही ठहराने की मांग की, लेकिन यह नहीं बताया कि *विशाल गोयल* (उपरोक्त) का निर्णय वर्तमान मामले में कैसे लागू नहीं होगा। हालांकि यह निवेदन किया गया थाः –

> "कर्नाटक राज्य में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार विभाग द्वारा प्रबंधित 11615 सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान हैं। राज्य का उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाएं आम जनता की पहुंच के भीतर प्रदान करना है। इस उद्देश्य को नए अत्याधुनिक संस्थानों की स्थापना और उपकरणों के प्रावधानों, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और कुशल मानव शक्ति की भर्ती के माध्यम से

---

[6] एआईआर 1955 एससी 334 = 1955 (1) एससीआर 1215

मौजूदा संस्थानों को मजबूत करके पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आज, विशेषज्ञों के 3435 पद हैं, जिनमें से 1312 रिक्त हैं, जो राज्य की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दर्शाते हैं। चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में विशेषज्ञों के 2700 पदों में से 517 रिक्त हैं, जो राज्य के चिकित्सा शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दर्शाते हैं। कर्नाटक के 39 में से 16 मेडिकल कॉलेज राज्य द्वारा संचालित हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में 970 वरिष्ठ निवासी पद हैं, जिनमें से 524 पद खाली हैं। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन पदों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार किसी भी समय पर भरा जाए। यदि विशेषज्ञ की कमी के कारण ये रिक्त रहते हैं, तो इन कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों उम्मीदवारों के भविष्य को खतरे में डालने के जोखिम के साथ मान्यता रद्द हो जाती है। वरिष्ठ निवासी के पदों को हर साल उत्तीर्ण होने वाले नए स्नातकोत्तरों द्वारा भरा जाना चाहिए। इन संस्थानों को चलाने के लिए विशेषज्ञों की भारी आवश्यकता है। इसलिए राज्य सरकार को इन पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में स्नातकोत्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।"

11. *डॉ. प्रदीप जैन (उपरोक्त)* के मामले में इस न्यायालय द्वारा *कुमारी एन. वसुंधरा बनाम मैसूर राज्य और एक अन्य*[7], *अव्यस्क पी. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य और अन्य*[8], *अव्यस्क ए. पीरियाकरुप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य*[9], *डी. ऍन.चंचला बनाम मैसूर राज्य और अन्य*[10] के साथ-साथ *डॉ. जगदीश सरन और अन्य बनाम भारत संघ*[11] में दिए गए निर्णयों पर विचार किया गया था और अंत में निष्कर्ष निकाला गयाः

"…. हम कुछ राज्य सरकारों द्वारा छात्रों के लिए संस्थागत वरीयता के आधार पर किए गए थोक आरक्षण की निंदा करते हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण किया तथा योग्यता की परवाह किए बिना, इस आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले सभी छात्र को शामिल नहीं किया गया। हम इस तरह के थोक आरक्षण को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करते हैं

---

7 (1971) पूरक एससीआर 381 = (1971) 2 एससीसी 22

8 1968 (2) एससीआर 786

9 1971 (2) एससीआर 430 = (1971) 1 एससीसी 38 = आएआईआर 1971 एससी 2303

10 (1971) पूरक एससीआर 608 = (1971) 2 एससीसी 293

11 (1980) 2 एससीसी 768 =1980 (2) एससीआर 831

क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।“

12. *डॉ. प्रदीप जैन (उपरोक्त)* में अपने निर्णय के दौरान इस न्यायालय ने पैरा 14 से 16 में विचार किए गए विभिन्न निर्णयों में संबंधित राज्यों से प्राप्त निवेदनो के प्रभाव पर भी विचार किया, जो राज्य द्वारा उत्तर में या लिखित प्रस्तुतियों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों के समान थे। *डॉ. प्रदीप जैन (उपरोक्त)* के निर्णय के पैरा 22 में अंततः स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में मामले को निम्नानुसार निष्कर्षित किया गया:

"22. ..... चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति ने यह राय भी व्यक्त की है कि "किसी भी संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होने चाहिए और उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अधिवास के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसमें संस्थान स्थित है।" इसी प्रकार विद्वान महान्यायवादी द्वारा दायर नीतिगत वक्तव्य में भी भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से यह विचार व्यक्त किया है किः

> “जहां तक स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और विशेष व्यावसायिक महाविद्यालयों के संस्थानों में प्रवेश का संबंध है, यह पूरी तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में संवैधानिक आरक्षण के अधीन अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर होना चाहिए।“

इसलिए हमारा विचार है कि जहां तक एमएस, एमडी और इसी तरह के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का संबंध है, राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करना अनिवार्य रूप से वांछनीय होगा। लेकिन, शिक्षा में अवसर की समानता और संस्थागत निरंतरता के व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए, जिसका अपना महत्व और मूल्य है, हम निर्देश देंगे कि हालांकि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण का आधार नहीं होगी, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में कुछ प्रतिशत सीटें संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षित की जा सकती हैं, इस अर्थ में कि एक छात्र जिसने मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उसे उसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वरीयता दी जा सकती है, लेकिन संस्थागत वरीयता के आधार पर ऐसा आरक्षण किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध खुली सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।“

13. विशाल गोयल (उपरोक्त) में पीजीईटी-2014 के लिए सूचना बुलेटिन के खंड 2.1 की वैधता को चुनौती दी गई थी। उक्त खंड 2.1 में निर्धारित पात्रता शर्तें वर्तमान खंड, अर्थात् पीजीईटी-2018 के खंड 4.1 में निर्धारित शर्तों के समान हैं। विशाल गोयल (उपरोक्त) में निर्णय के पैरा 4,10 से 13 और 15 इस प्रकार थेः

"**4.** दो सूचना बुलेटिनों का उक्त खंड 2.1, जो स्नातकोत्तर चिकित्सा और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समान रूप से लिखा गया है, नीचे दिया गया हैः

"**2.1**. किसी भी उम्मीदवार को किसी पेशेवर शैक्षणिक संस्थान में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उम्मीदवार के पास प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित योग्यता या पात्रता न हो:

(क) वह भारत का नागरिक है जो कर्नाटक मूल का है और उसने कर्नाटक में या कर्नाटक के बाहर स्थित मेडिकल/डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस/बीडीएस की डिग्री हासिल की है, और भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

स्पष्टीकरण- 'कर्नाटक मूल का अभ्यर्थी' से निम्न खंड (i) या (ii) के अधीन पात्र पाया गया अभ्यर्थी अभिप्रेत है, अर्थात्ः

(i) एक उम्मीदवार जिसने पहली कक्षा से एमबीबीएस/बीडीएस तक आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर दस शैक्षणिक वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में स्थित एक या अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन किया है और उत्तीर्ण किया है और कर्नाटक राज्य से एसएसएलसी/10 वीं कक्षा या दूसरी पीयूसी/12 वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जिसने किसी कक्षा या मानक को पास करने में एक वर्ष से अधिक का समय लिया है, शैक्षणिक अध्ययन के वर्षों को केवल एक वर्ष के रूप में गिना जाता है।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, अर्थात्ः

(1) एसएसएलसी या 10वीं कक्षा का अंक पत्र।

(2) उम्मीदवार का द्वितीय पीयूसी या 12 वीं कक्षा का अंक पत्र।

(3) उम्मीदवार अध्ययन प्रमाण पत्रः शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख से एक

अध्ययन प्रमाण पत्र जहां उन्होंने अध्ययन किया था। इसके अलावा, स्कूल अध्ययन प्रमाणपत्रों पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ)/लोक शिक्षण उप निदेशक (डीडीपीआई) द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(4) योग्यता डिग्री प्रमाण पत्र और सभी चरणों के अंक कार्ड।

(5) निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक I) में तहसीलदार द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र और यदि आरक्षण लाभों का दावा किया जाता हैः फॉर्म डी में एससी/एसटी के लिए संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी जाति/जाति आय प्रमाण पत्र, फॉर्म ई में श्रेणी 1 और फॉर्म एफ में 2-ए, 2-बी, 3-ए और 3-बी।

(6) एमसीआई/डीसीआई राज्य परिषद पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(7) संबंधित कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जारी प्रयास प्रमाण पत्र।

(ii) उम्मीदवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कर्नाटक राज्य के भीतर प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा या 11 वीं और 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या कर्नाटक में स्थित एक पेशेवर शैक्षणिक संस्थान से एमबीबीएस/बीडीएस और माता-पिता में से किसी एक को कर्नाटक में न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन करना चाहिए।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, अर्थात्ः

(1) एसएसएलसी या 10वीं कक्षा का अंक कार्ड।

(2) उम्मीदवार का द्वितीय पीयूसी या 12 वीं कक्षा का अंक कार्ड।

(3) योग्यता डिग्री प्रमाण पत्र और सभी चरणों के अंक कार्ड।

(4) तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अधिवास प्रमाण पत्र (अनुलग्नक I).

(5) यदि आरक्षण लाभों का दावा किया जाता हैः फॉर्म डी में एससी/एसटी के लिए, फॉर्म ई में श्रेणी 1 और फॉर्म एफ में 2-ए, 2-बी, 3-ए और 3-बी के लिए संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी जाति/जाति आय प्रमाण पत्र; और

(6) (क) कर्नाटक में कम से कम 10 वर्षों तक अध्ययन करने वाले माता-पिता में से किसी के लिए उस शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख से अध्ययन प्रमाण पत्र जहां उसने अध्ययन किया था। इसके अलावा, स्कूल अध्ययन प्रमाणपत्रों पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ)/लोक शिक्षण उप निदेशक (डीडीपीआई) द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए (अनुलग्नक III).

(ख) कर्नाटक में प्रथम और द्वितीय पीयूसी या 11 वीं और 12 वीं कक्षा दोनों का अध्ययन करने के लिए शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी उम्मीदवार अध्ययन प्रमाण पत्र।

(7) एमसीआई/डीसीआई राज्य परिषद पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(8) संबंधित कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जारी प्रयास प्रमाण पत्र।"

.....

10. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और हमने पाया है कि *प्रदीप जैन* मामले में इस न्यायालय के फैसले का आधार संविधान का अनुच्छेद 14 है जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। जैसा कि इस न्यायालय ने *निखिल हिमथानी बनाम उत्तराखंड राज्य* में निर्णय के पैरा 12 और 13 में समझायाः

(एससीसी पृष्ट. 244-45)

"12. संविधान का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। *जगदीश सरन बनाम भारत संघ* में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लेख करते हुए तीन न्यायाधीशों की ओर से निर्णय लिखते हुए कहा कि देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर की समानता संवैधानिक गारंटी है और इसलिए उम्मीदवारों के चयन के लिए योग्यता परीक्षा होनी चाहिए, विशेष रूप से एमडी जैसे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों जैसे शिक्षा के उच्च स्तरों में। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की भाषा में:

(एससीसी पृष्ट. 778-79, पैरा 23)

'23. समानतावाद की एक ही धारा से बहना एक और प्रतिबन्ध है। किसी क्षेत्र की बुनियादी चिकित्सा आवश्यकताएँ या एक विकलांग समूह के लिए उचित अधिमान्य प्रोत्साहन एक ही माप में विशेषता के सभी उच्चतम पैमाने पर लागू नहीं हो सकता है, जहां क्षमता के अनुसार चयन करके सर्वोत्तम कौशल या प्रतिभा को चुना जाना चाहिए। पीएचडी., एमडी., या उच्च प्रवीणता के स्तर पर, जहां प्रतिभा का अंतर्राष्ट्रीय माप किया जाता है, जहां एक महान वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् को खोना एक राष्ट्रीय नुकसान है, एक महत्वपूर्ण पर हमने जिन विचारों का विस्तार किया है, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। यहाँ समानता, जिसे मिलान उत्कृष्टता द्वारा मापा जाता है, का अधिक अर्थ है और इसे गंभीर जोखिम

के बिना बहुत कम नहीं किया जा सकता है।'

13. *जगदीश सरन बनाम भारत संघ* में उपरोक्त कारणों पर भरोसा करते हुए, *प्रदीप जैन* मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एमडी/एमएस जैसे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए किसी अन्य बात पर विचार करते हुए उत्कृष्टता से समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक होगा और इसलिए राज्य में आवासीय आवश्यकता के आधार पर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अवसर की समानता के अधिकार को प्रभावित करेगा।...."

मगन मेहरोत्रा बनाम भारत संघ और *सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ* में भी, इस न्यायालय ने *प्रदीप जैन* के मामले में लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को अनुमोदित किया है कि एमडी/एमएस जैसे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से किसी अन्य बात पर विचार करते हुए उत्कृष्टता से समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अवसर की समानता के अधिकार को प्रभावित करेगा।

11. श्री मरियारपुथम का कहना सही है कि *सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ* में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संस्थागत वरीयता किसी राज्य द्वारा दी जा सकती है, लेकिन *सौरभ चौधरी* के उपरोक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संस्थागत वरीयता देने के राज्य के निर्णय को न्यायालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है यदि यह दर्शाया जाता है कि राज्य का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन समानता के अधिकार से परे है। जब हम दो सूचना बुलेटिनों के खंड 2.1 के उपखंड (क) की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि "कर्नाटक मूल का एक उम्मीदवार", जो प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र है, को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि एक अन्य उम्मीदवार जिसने कर्नाटक राज्य में एक संस्थान से एमबीबीएस या बीडीएस का अध्ययन किया है, लेकिन जो पीजीईटी-2014 के लिए सूचना बुलेटिन के खंड 2.1 के उपखंड (क) की अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार, पीजीईटी-2014 के लिए सूचना बुलेटिन के खंड 2.1 के उपखंड (क) द्वारा दी जाने वाली संस्थागत प्राथमिकता *प्रदीप जैन* के मामले में इस न्यायालय के फैसले के स्पष्ट रूप से विपरीत है।

12. *प्रदीप जैन* के मामले में निर्णय के पैरा 22 से उद्धृत करने के लिएः

(एससीसी पृष्ठ 693)

"22. ... वर्तमान परिस्थितियों में सीटों का एक निश्चित प्रतिशत संस्थागत वरीयता के आधार पर इस अर्थ में आरक्षित किया जा सकता है कि एक छात्र जिसने मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उसे उसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वरीयता दी जा सकती है।..."

13. दो सूचना बुलेटिनों के खंड 2.1 का उपखंड (क) वास्तव में कर्नाटक राज्य के कॉलेजों या विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस या बीडीएस उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को संस्थागत वरीयता नहीं देता है, लेकिन उनमें से कुछ को कर्नाटक राज्य में स्नातकोत्तर चिकित्सा या दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देने के लिए अयोग्य बनाता है।

.....

"15. परिणामस्वरूप, हम रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं, पीजीईटी-2014 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दो सूचना बुलेटिनों के खंड 2.1 के उप-खंड (क) को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर और शून्य घोषित करते हैं। प्रत्यर्थी अब ताजा सूचना बुलेटिन प्रकाशित करेगा और पहले से आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणामों के आधार पर जून 2014 के अंत तक विधि के अनुसार सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ निजी कॉलेजों के राज्य कोटे में प्रवेश करेगा। हम यह भी आदेश देते हैं कि *फ्रेज़ नसीम बनाम भारत संघ* में हमारे आदेश दिनांक 14-3-2014 में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में परामर्श और प्रवेश के लिए सामान्य समय सारणी शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 के लिए कर्नाटक राज्य में ऐसे प्रवेश पर लागू नहीं होगी। इसी तरह, स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श और प्रवेश के लिए सामान्य समय सारणी कर्नाटक राज्य में ऐसे प्रवेशों पर लागू नहीं होगी। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।"

14. *विशाल गोयल* (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 13 और 15 स्पष्ट हैं कि पीजीईटी-2014 के लिए सूचना बुलेटिन में वास्तव में उन छात्रों को संस्थागत वरीयता नहीं दी गई थी जिन्होंने कर्नाटक राज्य के कॉलेजों या विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस/बीडीएस उत्तीर्ण किया था, लेकिन उनमें से कुछ को कर्नाटक राज्य में स्नातकोत्तर चिकित्सा या दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देने के

लिए अयोग्य बना दिया था और उक्त खंड को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर रखा गया था और इसे अमान्य घोषित कर दिया गया था। विचाराधीन प्रासंगिक खंड, अर्थात् पीजीईटी-2018 के लिए सूचना बुलेटिन का खंड 4.1 सार में *विशाल गोयल* (उपरोक्त) में विचार किए गए खंड के समान है। इस प्रकार यह मामला अब विधि से अछूता नहीं है और *विशाल गोयल* (उपरोक्त) के फैसले में पूरी तरह से शामिल है। इन परिस्थितियों में, हम *विशाल गोयल* (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का सम्मानपूर्वक पालन करते हैं और सूचना बुलेटिन (पीजीईटी-2018) के खंड 4.1 को, जो 10.03.2018 को वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, इस हद तक अमान्य ठहराते हैं कि यह याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराता है, जिन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और गैर-सरकारी संस्थानों में सरकारी कोटा सीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कर्नाटक में स्थित कॉलेजों से अपने एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री पाठ्यक्रम पूरे किए हैं।

15. यह रिट याचिका उपरोक्त शर्तों में स्वीकार की जाती है। कर्नाटक राज्य और प्रत्यर्थी संख्या. 2 और 3 को इस निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सूचना बुलेटिन को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और इस निर्णय के संदर्भ में पुनः आवश्यक चरण एवं कार्वाहियों के कैलेंडर को फिर से प्रकाशित करने और संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया।

अमित सिंह सिसोदिया रिट याचिका स्वीकार की गई।